

कार्यालय संयुक्त निदेशक अभियोजन  
जनपद -अयोध्या।

पत्रांक: अभि0-जेडीएफ-स्था0-2018 / 95 /2019 दिनांक: 30 अगस्त, 2019

// कार्यमुक्ति आदेश //

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन गृह(पुलिस)अनुभाग-9,के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2675/छ:-पु0-9-18-31(120)/17 लखनऊ: दिनांक :29 अगस्त, 2019 के क्रम में अभियोजन निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-एक-दो-136-2009(43)/4554/2019 दिनांक: 30 अगस्त, 2019 द्वारा आपको उत्तर प्रदेश,उच्चतर न्यायिक सेवा में अपर जिला जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के पद पर जनपद बलिया में योगदान करने हेतु अभियोजन अधिकारी के पद पर धारणाधिकार बनाये रखते हुए कार्यमुक्ति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः उपरोक्त आदेश के अनुपालन में श्री विनोद कुमार, अभियोजन अधिकारी को इस कार्यालय से आज दिनांक: 30.08.2019 के अपराह्न में कार्यमुक्ति किया जाता है।

अपर निदेशक अभियोजन  
अयोध्या।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 1-माननीय जनपद न्यायाधीश,बलिया,उ0प्र0 (द्वारा श्री विनोद कुमार,नवनियुक्त अपर जिला जज, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जनपद-बलिया।)
- 2-विशेष सचिव, गृह(पुलिस)अनुभाग-9 उ0प्र0 शासन लखनऊ को उनके कार्यालय ज्ञाप सं0-2675/छ:-पु0-9-18-31(120)/17 दि0 29.08.2019 के क्रम में।
- 3-महानिदेशक अभियोजन,अभियोजन निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक: एक-दो-136-2009(43)4554/2019 दि0 30 अगस्त,2019
- 4- जिलाधिकारी,अयोध्या/बलिया।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी,जनपद बलिया/अयोध्या।
- 6- अपर निदेशक अभियोजन,अयोध्या परिक्षेत्र अयोध्या।
- 7- श्री विनोद कुमार, नवनियुक्त अपर जिला जज, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जनपद-बलिया।)
- 8- कार्यालय प्रयोगार्थ।

अपर निदेशक अभियोजन

अयोध्या।  
अपर निदेशक अभियोजन  
अयोध्या।